

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या - 1577/2010/भरतपुर

मैसर्स गुरुकृपा स्टोन,
रिको, बयाना, भरतपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-द्वितीय, मु.-बयाना, वृत-बी, भरतपुर।

.....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित :

श्री जतिन हरजाई
अभिभाषक।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन.के.बैद
उप-राजकीय अभिभाषक।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 03.04.2018

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी घट-II, वृत-बी, बयाना, भरतपुर (जिन्हें आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) के विरुद्ध आलौच्य अवधि वर्ष 2007-08 के लिये केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 (जिसे आगे "केन्द्रीय अधिनियम" कहा जायेगा) सपठित धारा 23, 24 के अन्तर्गत पारित किये गये आदेश दिनांक 10.03.2010 के विरुद्ध उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। अपीलीय अधिकारी द्वारा वित्त अधिनियम, 2010 में केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय अधिनियम में किये गये संशोधन के परिणामस्वरूप राजस्थान कर बोर्ड को स्थानान्तरित की गई हैं।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के वर्ष 2007-08 में किये गये जॉब वर्क के संबंध में 'F' फार्म प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी द्वारा इस संबंध में न तो 'F' फार्म पेश किया गया और न ही कोई जवाब प्रस्तुत किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह अवधारित करते हुए कि अपीलार्थी द्वारा जॉब वर्क की अन्तर्राज्यीय बिक्री की है। जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपित की गई। उक्त कर निर्धारण आदेश से असहमत होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील दायर की, परन्तु केन्द्रीय अधिनियम के संबंध में विवादित अपील का क्षेत्राधिकार राज्य की उच्चतम अपीलीय प्राधिकारी राजस्थान कर बोर्ड को होना बताते हुए अपील कर बोर्ड को स्थानान्तरित करने का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसे स्वीकार किया जाकर यह अपील कर बोर्ड को स्थानान्तरित हुई है।
3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।



लगातार.....2.


4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने प्रारम्भिक ऐतराज उठाते हुए प्रकरण में अपील क्षेत्राधिकार अपीलीय अधिकारी का बताते हुए कथन किया कि प्रकरण केन्द्रीय अधिनियम की धारा 18ए के प्रभाव में आने से पूर्व का है। यह प्रावधान दिनांक 01.06.2010 से प्रभावी हुए हैं, जबकि प्रस्तुत प्रकरण वर्ष 2007-08 का है तथा कर निर्धारण आदेश दिनांक 31.03.2010 को पारित हो चुका था। यह भी कथन किया कि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 18ए के तहत वे प्रकरण ही राज्य की उच्चतम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपीलीय क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत किये जा सकते हैं, जिनमें केन्द्रीय अधिनियम की धारा 6ए(2) या 6ए(3) के तहत सशक्त अधिकारी द्वारा आदेश पारित किये गये हैं।
5. इन आधारों पर अपील में क्षेत्राधिकार अपीलीय अधिकारी का बताते हुए प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रेषित किये जाने का अनुरोध किया है।
6. प्रत्यर्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय स्तर पर लम्बित अपील को राज्य के उच्चतम अपीलीय ऑथोरिटी कर बोर्ड को स्थानान्तरण किये जाने हेतु आवेदन किया था, जिसे स्वीकार करते हुए अपील कर बोर्ड को स्थानान्तरित की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का प्रारम्भिक ऐतराज अब उठाना विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। फिर भी माननीय कर बोर्ड उचित समझे तो प्रकरण अपीलीय अधिकारी को स्थानान्तरित करने में कोई आपत्ति नहीं है।
7. उभयपक्ष की बहस की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।
8. केन्द्रीय अधिनियम के प्रावधानों को ध्यानपूर्वक देखने से यह स्पष्ट होता है कि केन्द्रीय अधिनियम के Act No. 20 of 2002 Sec 151 w.e.f. 11.05.02 से धारा 6ए(1) में विक्रय के इतर माल के स्थानांतरण के प्रमाण के रूप में CST (Registration & Turnover) Rules, 1957 के नियम 12(5) में विहित घोषणा पत्र फॉर्म 'एफ' को बाध्यकारी बनाते हुए इस प्रावधान में यह जोड़ा गया था कि—
"and if the dealer fail to furnish such declaration, then the movement of goods shall be deemed for all purposes of this Act to have been occasioned as a result of sale."
इसी प्रावधान के अनुरूप उपधारा (2) भी प्रावधित की गई थी।
9. उपधारा (2) के तहत किये गये माल स्थानांतरण के परिणामस्वरूप जिस राज्य को माल का स्थानांतरण हो रहा है, उस राज्य में विक्रय पर स्थानीय कर अधिनियम के तहत कर चुकाया जाता है, लेकिन यदि इस प्रकार का स्थानांतरण जांच में गलत पाया जाकर अन्तर्राज्यीय विक्रय पाया जाता है तो जिस राज्य से माल का संचलन (Movement) होता है, वह राज्य धारा 3(ए) के तहत करारोपण करता है। ऐसी लगातार.....3.

[Handwritten Signature]

स्थिति में एक ही विक्रय पर केन्द्रीय अधिनियम के तहत तथा माल प्राप्ति राज्य में स्थानीय कर दोनों आरोपित हो जाते हैं। ऐसे दोहरे करारोपण के प्रकरणों में संव्यवहारों की विधिक प्रकृति निर्धारण हेतु केन्द्रीय अधिनियम में दिनांक 17.3.2005 से प्रावधान चैप्टर VI के अन्तर्गत धारा 19 से 26 प्रावधित की गई, जिसमें Authority to settle disputes in course of interstate Trade or Commerce के विषय में प्रावधान किये गये हैं। धारा 19 में Central Sales Tax Authority ('CSTA') के संस्थापन, क्षेत्राधिकार तथा कार्यविधि के प्रावधान किये गये हैं। धारा 20 में राज्य के उच्चतम अपीलीय अॉथोरिटी (राजस्थान में 'कर बोर्ड') द्वारा पारित अपीलों से प्राप्त प्रकरणों में अपील का क्षेत्राधिकार दिया गया है। CSTA की स्थापना के साथ ही धारा 24 में स्थापित Authority for Advance ruling के पास लम्बित प्रकरण की CSTA को स्थानान्तरित हो जायेंगे। धारा 25 की उपधारा (1) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि CST (Amendment) Act 2005 के प्रभाव में आने की तिथि से धारा 24(1) के तहत स्थापित प्राधिकारी के समक्ष लम्बित प्रकरण (राज्य की उच्चतम अपीलीय प्राधिकारी से प्राप्त अपीलों के अलावा) को मय रेकॉर्ड तुरन्त राज्य के उच्चतम अपीलीय प्राधिकारी को स्थानान्तरित हो जायेगी। उपधारा (2) के तहत राज्य के उच्चतम अपीलीय प्राधिकारी स्थानीय अधिनियम में प्रावधित अनुसार अपील का निस्तारण करेंगे। इस उपधारा के साथ एक परन्तुक भी था, जो कि दिनांक 01.06.2010 से विलोपित हुआ है, के अनुसार यदि राज्य की उच्चतम अपीलीय प्राधिकारी यह पाये कि अपीलार्थी प्रथम अपील प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नहीं कर पाया है तो ऐसे अपीलीय अधिकारी को प्रकरण अग्रेषित कर सकता है। दिनांक 17.3.2005 से केन्द्रीय अधिनियम में धारा 20 को जोड़ जाने पर सशक्त अधिकारी के द्वारा धारा 6ए सपठित धारा 9 के कर निर्धारण आदेश की अपील सीधे CSTA को की जाती थी। इसलिए धारा 25 में संशोधन से पूर्व किसी स्तर पर लम्बित अपील Central Authority को स्थानान्तरित होती थी। धारा 18ए के प्रावधानों के दिनांक 01.06.2010 को प्रभाव में आने से पूर्व सशक्त अधिकारी के आदेश की अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष ही प्रस्तुत करने के प्रावधान विद्यमान थे।

10. इन प्रावधानों के आलोक में प्रस्तुत प्रारम्भिक ऐतराज उचित प्रतीत होता है। प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा अन्तर्राज्यीय विक्रय व्यवहार में संव्यवहार के इतर माल के राजस्थान राज्य से स्थानान्तरण के समर्थन में धारा 6ए(2) सपठित नियम 12(5) के तहत विहित घोषणा प्रपत्र 'एफ' प्रस्तुत नहीं किये हैं। यह विधिक स्थिति केन्द्रीय अधिनियम में संशोधन दिनांक 11.02.2005 से प्रभावी है।
11. इस प्रकार उपलब्ध तत्कालीन प्रावधानों के आलोक में तथा प्रकरणों में 'एफ' फॉर्म प्रस्तुत नहीं होने के तथ्य के मददेनजर सशक्त अधिकारी के कर निर्धारण वर्ष

लगातार.....4.



2007-08 के कर निर्धारण आदेश दिनांक 02.06.2010 के विरुद्ध अपील, अपीलीय अधिकारी के समक्ष ही प्रस्तुत की जा सकती है। इसी प्रकार का निष्कर्ष अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों यथा माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ ने अपील संख्या 578/2011 व अन्य मैसर्स स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, जयपुर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान-द्वितीय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.03.2014 में तथा राजस्थान कर बोर्ड की समन्वय पीठ द्वारा अपील संख्या 1566/2010/जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2016 में भी पारित किया गया। अतः वर्तमान प्रकरण उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धान्तों से आच्छादित होने से गुणावगुण पर निस्तारण हेतु सुनवाई के लिये अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

12. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की प्राथमिक आपत्ति को स्वीकार करते हुए उक्त प्रकरण/अपील इस निर्देश के साथ अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर प्रकरण/अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण करें।
13. निर्णय सुनाया गया।

Rajiv Choudhary
03/04/18
(राजीव चौधरी)
सदस्य